



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ()जविप्रा/जोन-11/2022/डी- 2991

दिनांक: 10/11/22

मैसर्स गणपति ग्रीन्स जरिये पार्टनर श्री तरुण गोयल,
जी-2-3, विनोबा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

विषय:- निजी खातेदारी की आवासीय योजना "समुराई वैली" ग्राम मदारु तहसील सांगानेर जिला जयपुर का योजना मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा ग्राम मदारु तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 361 रकबा 0.12 हैक्ट. (नवीन ख.नं. 680/361 रकबा 0.12 हैक्ट.) ख.नं. 362 रकबा 0.10 हैक्ट. (नवीन ख.नं. 682/362 रकबा 0.10 हैक्ट.) ख.नं. 363/1 रकबा 0.72 हैक्ट. ख.नं. 378 रकबा 0.17 हैक्ट. (नवीन ख.नं. 684/378 रकबा 0.17 हैक्ट.) ख.नं. 379 रकबा 0.19 हैक्ट. ख.नं. 380 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 381 रकबा 0.44 हैक्ट. ख.नं. 678/374 रकबा 0.15 हैक्ट. (नवीन ख.नं. 686/678 रकबा 0.15 हैक्ट.) किता 8 कुल रकबा 1.90 हैक्ट. भूमि पर सृजित निजी खातेदारी की आवासीय योजना "समुराई वैली" का मानचित्र अनुमोदन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम मदारु तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 361 रकबा 0.12 हैक्ट. (नवीन ख.नं. 680/361 रकबा 0.12 हैक्ट.) ख.नं. 362 रकबा 0.10 हैक्ट. (नवीन ख.नं. 682/362 रकबा 0.10 हैक्ट.) ख.नं. 363/1 रकबा 0.72 हैक्ट. ख.नं. 378 रकबा 0.17 हैक्ट. (नवीन ख.नं. 684/378 रकबा 0.17 हैक्ट.) ख.नं. 379 रकबा 0.19 हैक्ट. ख.नं. 380 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 381 रकबा 0.44 हैक्ट. ख.नं. 678/374 रकबा 0.15 हैक्ट. (नवीन ख.नं. 686/678 रकबा 0.15 हैक्ट.) किता 8 कुल रकबा 1.90 हैक्ट. भूमि पर सृजित निजी खातेदारी की आवासीय योजना "समुराई वैली" का योजना मानचित्र बी.पी.सी. (एल.पी.) की 325वीं बैठक दिनांक 12.10.2022 में अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र रिकॉर्ड शाखा में क्रमांक 1179/बी दिनांक 09.11.2022 पर दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड शाखा में दर्ज किये जाने के पश्चात योजना मानचित्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

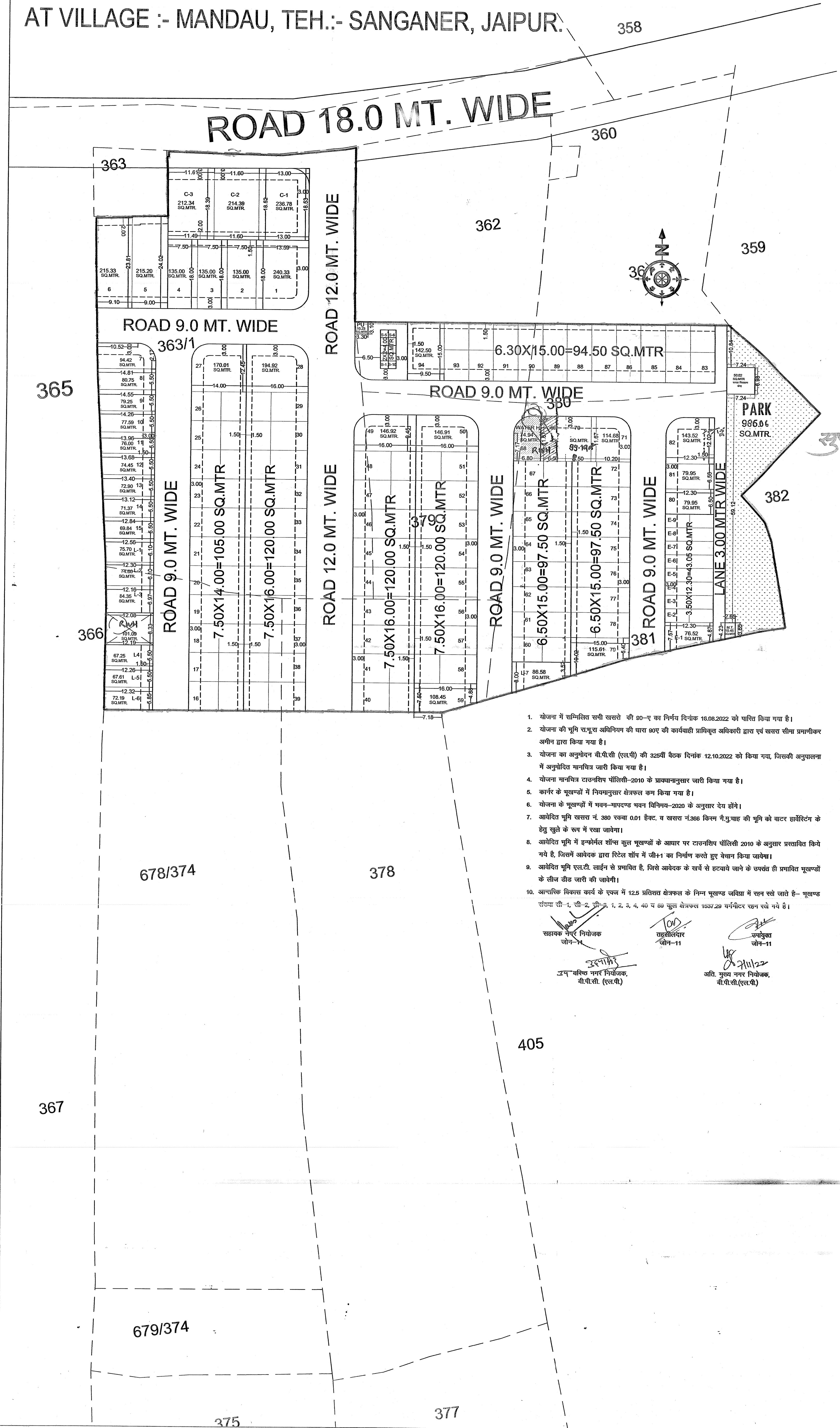
संलग्न - योजना मानचित्र की प्रति।




उपायुक्त जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर जोन-11
ज.वि. जयपुर

PROPOSED LAYOUT PLAN OF "SAMURAI VALLEY"
AT VILLAGE :- MANDAU, TEH.:- SANGANER, JAIPUR.

1179
B
9-11-22



1. योजना में सम्मिलित सभी खसरे की 80-ए का निर्णय दिनांक 18.08.2022 को पारित किया गया है।
2. योजना की भूमि संपूर्ण अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्रविष्टि अधिकारी द्वारा एवं खसरा सीमा प्रमाणिकर अमीन द्वारा किया गया है।
3. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी (एल.पी) की 325वीं बैठक दिनांक 12.10.2022 को किया गया, जिसकी अनुपालना में अनुमोदित मानचित्र जारी किया गया है।
4. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिटी-2010 के प्रावधानानुसार जारी किया गया है।
5. कर्नर के मूल्यांकन में नियमानुसार क्षेत्रफल कम किया गया है।
6. योजना के मूल्यांकन में मकान-मापदण्ड नवन विनियम-2020 के अनुसार देय होंगे।
7. अधिदत्त भूमि खसरा नं. 380 रकबा 0.01 हेक्टर, य खसरा नं.386 किस्म नै.गु.चाह की भूमि को वाटर हार्बरिंग के हेतु खुले के रूप में रखा जावेगा।
8. अधिदत्त भूमि में इन्फोर्मल शॉप कुल मूल्यांकन के आधार पर टाउनशिप पॉलिटी 2010 के अनुसार प्रस्तावित किये गये हैं, जिसमें आवेदक द्वारा रिटेल शॉप में जी-1 का निर्माण करते हुए नैदान किया जायेगा।
9. अधिदत्त भूमि एल.टी. लाईन से प्रभावित है, जिसे आवेदक के खर्च से हटवाये जाने के उपरान्त ही प्रभावित मूल्यांकन के लीज डीड जारी की जायेगी।
10. आन्तरिक विकास कार्य के एपन में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न मूल्यांकन जलिया में रहन रखे जाते हैं- मूल्यांकन संख्या सी-1, सी-2, सी-3, 1, 2, 3, 4, 40 य 89 कुल क्षेत्रफल 1537.29 वर्गमीटर रहन रखे गये हैं।

सहायक नगर नियोजक
जोन-11

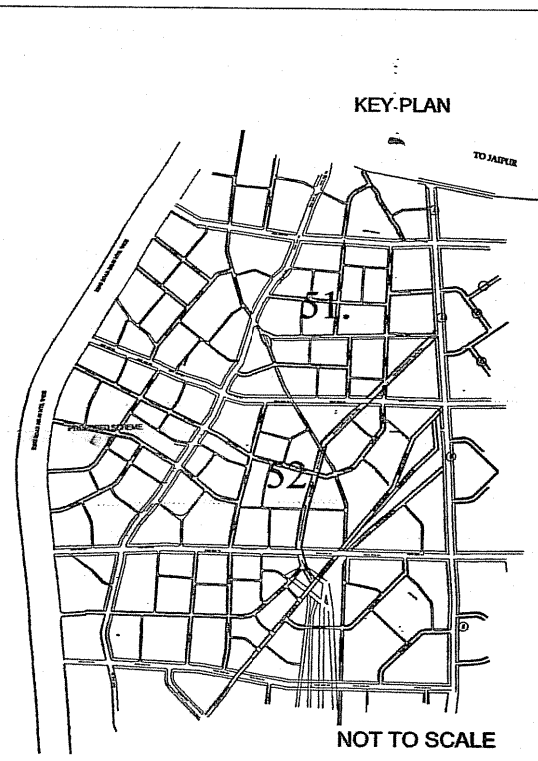
तहसीलदार
जोन-11

उपस्थित
जोन-11

एन. नरेश नगर नियोजक,
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अति. मुख्य नगर नियोजक,
बी.पी.सी. (एल.पी.)

SCALE:-1=5



NOT TO SCALE

मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग
मूल्यांकन की निर्माण स्थिति :-

आवासीय व्यावसायिक

1. पूर्ण / आंशिक निर्मित मूल्यांकन –

2. चार दीवारी निर्मित मूल्यांकन –

3. खाली मूल्यांकन 84

कुल मूल्यांकन

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल (Sq.mtr)	प्रतिशत
1	आवासीय	10338.35	54.41%
2	व्यावसायिक	663.52	03.49%
3	फुटकर व्यावसायिक	40.00	0.21%
4	EWS	420.92	2.22%
5	LIG	528.31	2.78%
6	WATER H.	12.7.31	0.67%
7	कचरा निस्तारण केन्द्र	50.02	0.26%
8	टेलीकॉम टॉवर	10.45	0.06%
9	PARK	986.06	5.13%
10	P.U. (I)	10.23	0.05%
11	सड़क	5824.83	30.66%
कुल योजना क्षेत्र		19000.00	100.00%

योजना की भूमि की सम्पूर्ण अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
तहसीलदार

नाम
उपायुक्त जोन-

बी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक
की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

ZONE NO. 11	SECTOR NO.51	
SCALE 1=	DRG. NO.	
A.T.P. ZONE	D.T.P.	S.T.P.
NAME OF SCHEME :-"SAMURAI VALLEY"		
VILLAGE :-MANDAU		
TEH. :- SANGANER		
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR		